विज्ञप्ति

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के परिप्रेक्ष्य में सर्व शिक्षा अभियान में संकल्पित अपेक्षाओं के अनुरूप शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्रों की व्यवस्था को शासनादेश संख्या 3903/79-5-2010-424/02 टी0सी0 शिक्षा अनुभाग-5 दिनांक 02.02.2011 के क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक गुण0वि0/बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 पुर्नगठन /5539/2010-11 दिनांक 10.02.2011 एवं शासनादेश संख्या 1425/79-5-2015 लखनऊ दिनांक 8 जून,2015 में निहित निर्देशों के क्रम में प्रत्येक ब्लाक/नगर में बी0आर0सी0/यू0आर0सी0, सह समन्वयकों के निम्न विवरणानुसार रिक्त पदों पर बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 के नियंत्रणाधीन प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों से जो कि निम्नांकित अर्हता पूर्ण करते हो से दिनांक 05.07.2018 तक पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन पत्र कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत में आमंत्रित किये जाते हैं-

क्र0सं0	बी0आर0सी0/ यू0आर0सी0 का नाम	सहसमन्वयकों के विषय वार रिक्त पदों की स्थिति					कुल रिक्त पद
		हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	विज्ञान	सामा0विषय	
1	ग्रामीण क्षेत्र	2	0	3	3	4	12
2	न0क्षेत्र पीलीभीत	1	1	1	1	1	5
	योग	3	1	4	4	5	17

1. वांछित विषय में स्नातक उपाधि के साथ अध्यापक प्रशिक्षण योग्यता।
2. परिषदीय प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण का कम से कम 08 वर्ष का शिक्षण अनुभव।
3. अवकाश ग्रहण करने में 08 वर्ष से अधिक सेवाकाल शेष हो।
4. ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र पर सह-समन्वयक के पद पर वेतन मूल पद के समतुल्य होगा।
5. निर्धारित तिथि के पश्चात व कोई अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
6. समस्त शैक्षिक/ प्रशिक्षण योग्यता, सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियां, संलग्न करना अनिवार्य है।
7. शिक्षक को लिफाफे के ऊपर आवेदित पद व विषय का नाम अंकित करना आवश्यक है।
8. बी0आर0सी0 स्तर पर रिक्त सह-समन्वयकों के पदों हेतु केवल ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक तथा यू0आर0सी0 स्तर पर रिक्त सह-समन्वयकों के पदों हेतु केवल नगर क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति होने पर ही मान्य होगा।
9. एक शिक्षक एक पद के लिये ही आवेदन कर सकता है एक से अधिक आवेदन करने पर समस्त आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।
10. मृतक आश्रित शिक्षक उसी दशा में पात्र होंगे जिन्होंने 02 वर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।
11. चयन समिति के निर्णयानुसार पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।
12. आवेदन पत्र निम्न प्रारूप पर ही मान्य होगा।

किसी भी विभागीय कार्यवाही अथवा नैतिक अधमता के अपराध के लिये दोष सिद्ध एवं दिवालिया शिक्षक चयन के लिये अर्ह नहीं होंगे। शिक्षण अनुभव तथा अवकाश ग्रहण करने में अवशेष सेवा काल का आगणन विज्ञापन की तिथि को सन्दर्भ तिथि मानकर किया जायेगा। लिखित परीक्षा 40 अंक, गुणवत्ता हेतु 30 अंक(हाई स्कूल में प्राप्त प्रतिशत का 5 प्रतिशत, इन्टरमीडिएट में प्राप्त प्रतिशत का 5 प्रतिशत, स्नातक में प्राप्त प्रतिशत का 10 प्रतिशत तथा प्रशिक्षण उपाधि में लिखित एवं प्रयोगिक परीक्षा में पृथक-पृथक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के लिये क्रमशः 5,3,2 अंक) शिक्षण अनुभव 20 अंक (प्रत्येक वर्ष हेतु 01 अंक) तथा साक्षात्कार हेतु 10 अंक निर्धारित किये गये हैं। उक्त पदों पर चयन लिखित परीक्षा, अंक गुणवत्ता,शिक्षण अनुभव एवं साक्षात्कार के माध्यम से जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

डॉ0(इन्द्रजीत प्रजापति)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
पीलीभीत।

सह समन्वयक,बी0आर0सी0 / यू0आर0सी0 हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

फोटो

1. आवेदित पद का नाम(**विषय सहित**) ....
2. अभ्यर्थी का नाम ....
3. पिता का नाम..
4. पत्र व्यवहार का पता..
5. जन्म तिथि (**अंकों में**)........................ (**शब्दों में**) ....
6. विभाग में प्रथम नियुक्ति की तिथि व पद..
7. वर्तमान कार्यरत पद व विद्यालय का नाम,वि0ख0..
7. वेतनमान..ग्रेड पे............................

08. कुल सेवाकाल(शिक्षण अनुभव 08 वर्ष से अधिक हो) वर्ष..............माह..............दिन............

09. सेवानिवृत्ति में शेष समय(08 वर्ष से अधिक हो) वर्ष..............माह..............दिन............

10. मोबाइल नं0..

11. शैक्षिक / प्रशिक्षण विवरण

क्र0 सं0	परीक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय	समस्त विषयों के नाम	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत	निर्धारित प्रतिशत अंक
1	हाईस्कूल							
2	इन्टरमीडिएट							
3	स्नातक							
4	प्रशिक्षण योग्यता							
							योग निर्धारित प्रतिशत अंक	

घोषणा

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा अंकित उपरोक्त विवरण सत्य है। इनमें कोई भी तथ्य भ्रामक नहीं है और न ही छिपाया गया है। मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की विभागीय कार्यवाही गतिमान नहीं है और न ही नैतिक अधमता के अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दिवालिया घोषित किया गया हूँ। जांचोपरान्त कोई भी विवरण त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थन निरस्त करते हुये मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।मेरा पदस्थापन किसी भी विकास खण्ड में किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी के हस्ताक्षर

नाम..

दिनांक..

मोबाइल नं0..

12. खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति

उपरोक्त समस्त सूचनाये मेरे द्वारा मूल शैक्षिक / प्रशिक्षण अभिलेखों तथा कार्यालय के अभिलेखों से मिलान कर जांच ली गयी हैं।

हस्ताक्षर एवं मुहर

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी